उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्याः- 213 /2015-3925/नौ-5-2015-02एनजीआरबीए/2015
लखनऊः दिनांकः 29 जून, 2015

संशोधन

वित्तीय वर्ष 2015-16 में नेशनल गंगा रीवर बेसिन अथारिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत ई0ए0पी0 व नान ई0ए0पी0 मद में केन्द्रांश के रूप में प्राप्त धनराशि रू0 5264.00 लाख के सापेक्ष राज्यांश रू0 2256.00 लाख की धनराशि को अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश सख्या-198/2015-2334/नौ-5-15-02एनजीआरबीए/2015, दिनांक 17.06.2015 के प्रस्तर-1 की सातवीं एवं आठवीं लाइन जो निम्न तालिका के कालम-1 में अंकित है, को कालम-2 के अनुसार संशोधित किया जाता है :-

कालम-1	कालम-2
कुल रू0 2256.00 लाख (सत्हत्तर लाख दस हजार मात्र) को निम्नलिखित विवरण/शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन स्वीकृति किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।	कुल रू0 2256.00 लाख (रू0 बाइस करोड़ छप्पन लाख मात्र) को निम्नलिखित विवरण/शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन स्वीकृति किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17.06.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष प्राविधान/शर्ते यथावत रहेंगी।

उमा शंकर सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-213/2015-3925(1)/नौ-5-2015-02एनजीआरबीए/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ। पत्रांक नि0देश0 30 दि0 अत्र निगम तत्काल।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त ई-8 अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त निदेशक/तकनीकी सलाहकार, राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण लखनऊ।
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
9- नियोजन अनुभाग-3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

u.o. rathore